न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम –

प्रकरण संख्या – 34/2018

अनवान – गुरपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – प्रताप सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24-12-20

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता प्रताप सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर ने कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 26.08.2014 को प्रार्थीगण के पक्ष में की है, जिसका प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटेरी, श्री करणपुर से प्रमाणित वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता ने चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खा.सं. 16/15 के मु.नं. 16 की 6.325 हैक्ट. भूमि में से 1.372 हैक्ट. भूमि व खा.सं. 21/24 के मु.नं. 1,13,23 की 13.852 हैक्ट. में से 3.078 हैक्ट., खा.सं. 22/25 के मु.नं. 21 की 1.518 हैक्ट. भूमि में से 0.506 हैक्ट., व चक 29 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2067–71 के खा.सं. 34/32 के मु.नं. 30,53 की 10.749 हैक्ट. भूमि में से 0.605 भूमि की वसीयत जगराज सिंह–गुरपाल सिंह पि. प्रताप सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत नोटेरी, श्री करणपुर से प्रमाणित है तथा दिनांक 26.08.2014 की लिखी हुई है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 12.03.2018 को हुई है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का 42 एच से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 32 एचए की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खा.सं. 16 के मु.नं. 16 की 6.325 हैक्ट. भूमि में से 1.372 हैक्ट. भूमि व खा.सं. 21 के मु.नं. 1, 13, 23 की 13.852 हैक्ट. में से 3.078 हैक्ट., खा.सं. 22 के मु.नं. 21 की 1.518 हैक्ट. भूमि में से 0.506 हैक्ट., व चक 29 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खा.सं. 32 के मु.नं. 30, 53 की 10.749 हैक्ट. भूमि में से 0.605 भूमि प्रताप सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, पैतृक है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक भूअ/वसीयत/7997 दिनांक 01.01.2020 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 09.07.2020 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान बूटा सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच व कुलविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट्टसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर ने दिनांक 12.10.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता प्रताप सिंह पुत्र ईशर सिंह द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी वह सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया। वसीयतकर्त्ता के वारिसों द्वारा भी वसीयत पर सहमति जताई है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं सीमा सन्देश में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू अ) श्रीकरणपुर

क्रमांक/भू अ/20/12068 दिनांक 30-12-20

वसीयत आदेश की प्रति हल्का पटवारी 42 एच को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर